चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी व उनकी टीम द्वारा एक व्यक्ति का बैंग बस में गलती से आपस में बदल जाने पर ले जाने वाले व्यक्ति को अथक प्रयास कर खोजकर दोनों के बैंगों को उन्हे दिलवाया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 15.11.2025 को अखिलेश कुमार पुत्र रामपाल निवासी- ग्रा० हरदौली थाना राजापुर रैपुरा बस स्टैण्ड से बरगढ़ जाने के लिए प्रातः 11:00 बजे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस सं० उ०प्र०78 एल एन 2149 से अपने गन्तव्य के लिए सवार हुए जैसे ही रामनगर पहुँचे तो देखा की उनका बैग बस की रैक में नही था, उन्होने तत्काल बस रुकवाकर बस में सवार यात्रियों से बैग के बारे में पूछताछ / खोजबीन की परन्तु बैग का कोई भी पता नहीं लग सका। परिचालक से पूछने पर बताया गया की एक सवारी देऊधा मैंकी मोड़ पर उतरी है, सम्भावना है कि उसी व्यक्ति के द्वारा बैग बदल लिया गया है। बस से उतरी हुई सवारियों का बैग बस में ही रह गया था जिसे वह अपने साथ लेकर उस व्यक्ति को खोज में निकल पड़े परन्तु बहुत प्रयास करने पर उस व्यक्ति का कोई पता नहीं चल सका।
उनके बैग में आवश्यक कागजात, बैंक की पास बुक, गैस कनेक्शन की बुक रजिस्टर,डायरी एंव लैपटाप मय चार्जर कीबोर्ड सहित था। सूचना पर थाना रैपुरा पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज की मदद से अथक प्रयास कर बैंग को गलती से बदल ले जाने वाले व्यक्ति रामबहोरी पुत्र स्व0 चुनका प्रसाद निवासी खोर रामनगर थाना रैपुरा को तलाश कर दोनों पक्षों को उनका सामान दिलवाया गया। दोनों पक्षों द्वारा पुलिस के सराहनीय प्रयास के लिए कहा धन्यवाद।
(3). आज दिनाँक-17.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया । बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी । बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये ।
(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ीश्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके हमराहीगण द्वारा अभियुक्त आनन्द कुमार श्रीवास पुत्र रामनिरंजन निवासी ग्राम चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
बरामदगीः-
01 अदद देशी तमंचा 12 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1. उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह थाना पहाड़ी
2. आरक्षी मृत्युन्जय पाण्डेय
3. आरक्षी नवीन कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिहं के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सतक्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म के करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 16.11.025 को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी एक वादिया द्वारा थाना मानिकपुर पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री शौच क्रिया हेतु गयी हुई थी तभी अमृतलाल पुत्र महावीर थाना मानिकपुर द्वारा उनकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 209/25 धारा 65(1),74 बीएनएस व ¾(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

आज दिनाँक 17.11.025 को उ0नि0 श्री गौरव तिवारी व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अमृतलाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

(6). आज दिनांक 17.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल इण्टर कॉलेज रैपुरा में यातायात जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सावधानियाँ अपनाने के संबंध में विस्तृत रूप से जागरूक किया गया। वक्ताओं द्वारा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे की हालत में ड्राइविंग से बचने तथा सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसी आवश्यक बातें बताई गई। प्रभारी द्वारा उपस्थित विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने और अपने परिवार व समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति व साइबर क्राइम/फ्रॉड्स आदि के बारे में भी सभी छात्र एवं छात्राओं/विद्यालय स्टाफ को जागरूक किया गया तथा शासन एवं प्रशासन की महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आवश्यक एवं आपातकालीन हेल्पलाइंस के बारे में भी अवगत कराया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी व उनकी टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

आवेदिका गुडिया देवी पत्नी कल्लू निवासी अगरहुड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा थानाध्यक्ष महिला थाना के समक्ष जेठ रामऔतार व जेठानी सीयाप्यारी व उसके लड़के विजय द्वारा मारपीट कर गाली गलौज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । परिवारिजन आपसी सुलह होने पर एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी

2.महिला मुख्य आरक्षी लता त्रिपाठी

3.महिला आरक्षी नीतू नायक

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश यादव व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 17.11.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2020 धारा 41/411 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त शिवाकान्त लोध उर्फ पण्डा पुत्र राजकरन निवासी श्रीदेवी जी का पुरवा ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.07.2020 को उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त शिवाकान्त को चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिस पर पहाड़ी में मु0अ0सं0 86/2020 धारा 379,41/411,413 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री टीकाराम वर्मा को सुपुर्द की गयी। विवेचक द्वारा आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध दिनाँक 22.07.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(9). आज दिनांक 17.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में यातायात माह जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत विजय म्यूजिकल ग्रुप की गीत-संगीत के माध्यम से यातायात कमाण्ड सेन्टर धनुष चौराहा पर यातायात जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने आमजनमानस को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सावधानियाँ अपनाने के संबंध में विस्तृत रूप से जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे की हालत में ड्राइविंग से बचने तथा सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसी आवश्यक बातें बताई गईं साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने और अपने माता-पिता,परिवार व समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।

यातायात जागरूकता के महत्वपूर्ण निर्देश-

- हेलमेट एवं सीट बेल्ट जीवन रक्षा का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम हैं।
- नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि दुर्घटना की गंभीर संभावना भी बढ़ाता है।
- नशे की हालत में वाहन चलाना सड़क पर स्वयं एवं दूसरों के लिए बड़ा खतरा है।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग एक सेकंड की चूक में जीवन-घातक दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।
- ओवरस्पीडिंग उत्साह नहीं, बल्कि जीवन के लिए गंभीर जोखिम है।

इस दौरान एआरटीओ श्री रामप्रकाश सिंह,पीटीओं श्री दिप्ती त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी नगर यातायात श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा, प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिहं एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।